प्रकरण ... [illegible]
[illegible] 461/20..
हुक्म या कार्यवाही मय दस्तख़त
आदेश 9 [illegible]

तारीख हुक्म	
15/9/2020	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभि० उप०/अप्रार्थी दिवाकर मिश्रा के अभि० उप०। प्रार्थी अभि० प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सहपठित धारा 151 स्वीकार कर वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी श्री शिव प्रकाश चौधरी ने आपत्ती जारी कर वाद को नम्बर पर नहीं लिये जाने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।
	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभि० का शपथ पत्र संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि प्रकरण में नियत दिनांक को किसी अन्य न्यायालय में व्यस्तता के कारण नियत दिनांक को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। जिसके कारण उक्त वाद पत्र खारिज कर दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावे।
	प्रार्थी/अप्रार्थी अभि० द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया चूंकि प्रकरण में श्री रामसुख चौधरी अभि० द्वारा भी एक अन्य प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसका निस्तारण वाद को नम्बर पर लिया जाकर किया जाना उचित है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 स्वीकार किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल हो। मुलवाद के साथ संलग्न हो।
	सहायक कलक्टर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Upe
Sharma
Date: 2020.09.25 12:0
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner